

भ्रमण आख्या
जनपद कुशीनगर

दिनांक 11.11.2024 से 13.11.2024

क्रम संख्या	आपत्ति	सुधारात्मक कार्यवाही
1.	भुगतान हेतु प्रचलित की जाने वाली पत्रावलियों में नोटशीट नहीं बनायीं जा रही थी।	एन0एच0एम0 का कार्य देख रहे लिपिक को भविष्य में पत्रावली पर बजट, मद संख्या का विवरण नोटशीट बनाकर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
2.	RKS की बैठक रजिस्टर तो उपलब्ध था किन्तु RKS बैठक नहीं की गयी थी।	प्रभारी चिकित्साधिकारी को गाइडलाइन के अनुसार RKS की बैठक आयोजित करने एवं बैठक का कार्यवृत्त RKS रजिस्टर में समस्त सदस्यों का विवरण रजिस्टर में उल्लिखित करें जिससे सदस्यों की बैठक में रजिस्टर में हस्ताक्षर के लिए कहा गया है।
3.	वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की कैश बुक अद्यतन नहीं थी।	वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की कैश बुक अद्यतन करा दी गयी हैं।
4.	वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर पर संबन्धित अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं कराये गए थे।	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर पर संबन्धित अधिकारियों के हस्ताक्षर करा दिया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर पर संबन्धित अधिकारियों के हस्ताक्षर कराये जाने हेतु सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया गया है।
5.	वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 का बी0आर0एस0 नहीं बनाया गया था।	वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 का बी0आर0एस0 अद्यतन करा दिया गया है।
6.	वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की होल्लिंग खातो की कैश बुक, बी0आर0एस0 एवं पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर नहीं बनाया गया था।	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु होल्लिंग खातो की कैश बुक, बी0आर0एस0 संबन्धित अधिकारियों के हस्ताक्षर करा दिया गया है तथा पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
7.	भुगतान किये जा चुके बीजको की पत्रावलियों में केवल बीजक ही संलग्न पाया गया।	वित्तीय गाइड लाइन के अनुसार पत्रावली में टेन्डर/अनुबन्ध की कॉपी, आदेश की कॉपी, क्रय आदेश, प्रपोजल फॉर पेमेन्ट, नोटशीट, एवं बिल पेड एंड कैसिल कर एवं PFMS एडवाइस संलग्न कराया गया हैं।
8.	कई ब्लॉक में बायो मेडिकल वेस्ट एवं जे0एस0एस0के0 डाइट का भुगतान कई माह से लंबित था।	ब्लॉक लेखा प्रबंधको को निर्देशित किया गया कि संबन्धित वेंडरो को लंबित बीजक उपलब्ध कराये जाने हेतु तत्काल पत्राचार किया जायें।

9.	आर०बी०एस०के० एवं सपोर्टिव सुपरविजिन कार्यक्रम के अंतर्गत चलाये जा रहे वाहनों का भुगतान बिना जी०पी०एस० लॉगबुक के किया जा रहा है।	ब्लाक लेखा प्रबंधको को निर्देशित किया गया कि वाहनों के भुगतान के समय सेवाप्रदाता से जी०पी०एस० लॉग बुक प्राप्त होने के उपरांत भुगतान करे अन्यथा इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
10.	जी०एस०टी०-टी०डी०एस० एवं आयकर टी०डी०एस० की कटौती की जा रही है किन्तु इसे समय से बैंक में जमा नहीं कराया जा रहा है।	ब्लाक लेखा प्रबंधको को निर्देशित किया गया कि जी०एस०टी०-टी०डी०एस० एवं आयकर टी०डी०एस० की कटौती करके समय से बैंक में जमा कराया जाना सुनिश्चित करे।
11.	कई ब्लॉको में आर०के०एस० का ऑडिट नहीं कराया गया है।	आर०के०एस० का ऑडिट तत्काल कराये जाने हेतु ब्लाक लेखा प्रबंधको को सी०ए० नियुक्त किये जान निर्देशित किया गया।
12.	Fixed Asset रजिस्टर एवं Stock रजिस्टर अद्यतन नहीं हैं।	Fixed Asset रजिस्टर एवं Stock अद्यतन किये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित किया गया।
13.	कान्क्रेन्ट आडिट रिपोर्ट एवं वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट के सापेक्ष अनुपालन आख्या नहीं बनायीं गयी हैं।	कुछ इकाईयों की अनुपालन आख्या भ्रमण अवधि में पूर्ण करा दी गयी है, शेष को शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
14.	सबसेंटर, वी०एच०एन०सी० का वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के Untied fund, व्यय की वार्षिक कार्ययोजना, व्यय विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध नहीं है।	उक्त सभी रिकॉर्ड अद्यतन कराये जाने ब्लाक लेखा प्रबंधको को निर्देशित किया गया।



(श्री विनय कुमार शर्मा)
टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव
वित्त अनुभाग